



## केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

9 वीं मंजिल, फेस 1 बिल्डिंग, फिल्म प्रभाग परिसर, 24, डॉ. जी. देशमुख मार्ग, मुंबई - 400026

सं.एम/23/2024-25

दिनांक: 14/5/2025

### महत्वपूर्ण संचार संख्या: 01/2025

फिल्मों के मूल संस्करण प्रमाणित करनेवाले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में उक्त फिल्म के हिंदी डब रूपांतरण के आवेदन एवं प्रमाणन करने की परीक्षण-अवधि प्रयोग के तौर पर अनुमति देते हुए दिनांक 18/10/2023 को जारी महत्वपूर्ण संचार सं 1/2023 एवं अवधि बढ़ाते हुए दिनांक 09/05/2024 को महत्वपूर्ण संचार सं 1/2024 और दिनांक 9/5/2024 को महत्वपूर्ण संचार सं 1/2025 जारी की थी। परीक्षण अवधि का विस्तार 6 महीने के लिए यानी 13-05-2025 तक था।

परीक्षण-अवधि के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी डब फिल्मों की प्रभावी प्रमाणन प्रक्रिया को देखते हुए, अध्यक्ष, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024 के नियम 22(3) के प्रावधान के तहत संबंधित क्षेत्रों में हिंदी डब फिल्मों के आवेदन और प्रमाणन की अनुमति दी, जहां मूल संस्करण प्रमाणित हैं और निर्देश दिया कि उपर्युक्त प्रक्रिया को अतिरिक्त छः महीने या अगले आदेश तक बढ़ाया जाए।

आवेदकों और फिल्म निर्माताओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, ई-सिनेप्रमाण पोर्टल को आवश्यक प्रावधानों और संवर्द्धन के साथ अद्यतन किया गया है, जिससे आवेदक सीधे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदन कर सकते हैं जहां मूल संस्करण प्रमाणित होते हैं, जो स्थान को परिभाषित करने वाले मौजूदा मानदंडों, निर्माता संघ/परिषद/चैंबर आदि का स्थान जहां फिल्म-शीर्षक पंजीकृत किया गया था, साथ ही फिल्म (निर्माता) कंपनी के मुख्य कार्यालय/उत्पादन कार्यालय का स्थान, के अधीन है।

इसे अध्यक्ष, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(राजेंद्र सिंह)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपि -

1. अध्यक्ष, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
2. संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001।
3. सभी फिल्म व्यापार संघ।
4. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सभी क्षेत्रीय अधिकारी।
5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, कें.फि. प्र. बो की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. नोटिस बोर्ड।



## केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

9 वीं मंजिल, फेस 1 बिल्डिंग, फिल्म प्रभाग परिसर, 24, डॉ. जी. देशमुख मार्ग, मुंबई - 400026

No. M/23/2024-25

Date: 14-05-2025

### **Important Communication No. 01/2025**

Consequent to the important communication No.1/2023 dated 18-10-2023, subsequent important communications No.1/2024 dated 9-5-2024 and No.2/2024 dated 14-11-2024 were issued, extending the trial period for application and certification of Hindi dubbed films at the respective regions where the original versions are certified. The extension of the trial period was for 6 months, i.e., until 13-05-2025.

Given the effective certification process of Hindi dubbed films at all regional offices observed during the trial periods, the Chairperson, under proviso to Rule 22(3) of the Cinematograph (Certification) Rules, 2024 further allowed the application and certification of Hindi dubbed films at the respective regions where the original versions are certified and directed that the aforementioned practice be extended for an additional six months, or until further orders.

To facilitate the application process for applicants and filmmakers, the e-Cinepramaan portal has already been updated with necessary provisions and enhancements, enabling the applicants to directly apply to the respective regional offices where the original versions are certified, subject to extant norms that define the location of the Producer's association/council/chamber, etc. where the film-title was registered, as well as the location of the Head Office/production office of the film (producing) company.

This issues with the approval of the Chairman, CBFC.

**(Rajendra Singh)**  
Chief Executive Officer

Copy to -

1. The Chairman, CBFC.
2. The Joint Secretary (films), Ministry of I&B, Shastri Bhavan, New Delhi - 110001.
3. All Film Trade Associations.
4. All Regional Officers of CBFC.
5. The Sr. Administrative Officer, CBFC, for uploading on the CBFC website.
6. Notice Board.